स्कूलों में बाल संसद चुनाव

शिशु रंजन

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यह हम सभी ने सुना है। लेकिन लोकतंत्र के असली मायने क्या होते हैं, इसके बारे में शायद कुछ ही लोग बता पाएँ। इसकी एक वजह यह भी है कि पाठ्यपुस्तकों में लोकतंत्र और उससे जुड़ी अवधारणाओं पर विषयवस्तु के होते हुए भी विद्यालयों में ऐसे ठोस प्रयास व गतिविधियाँ नहीं होतीं जो बच्चों की लोकतंत्र को समझने में मदद कर सकें। लेखक ने एक विद्यालय के साथ इस विषय पर काम किया। इसमें उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर बाल संसद की स्थापना, और उस संसद के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु चुनाव, चुनाव प्रचार, आदि पहलुओं पर काम किया। इस पूरी प्रक्रिया का विवरण, और इस प्रक्रिया से बनी शिक्षकों व विद्यार्थियों की समझ के बारे में इस लेख में बातचीत है। -सं.

"बच्चे 18 साल की उम्र में एक सुबह उठकर यह नहीं जान सकते कि लोकतंत्र में कैसे भाग लेना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, और उसे कैसे बढ़ाना है, ख़ासकर तब जब उनके पास इसका कोई पूर्व व्यक्तिगत या यहाँ तक कि सेकेंड-हैंड अनुभव न हो, न ही सीखने के लिए कोई रोल मॉडल हो।" (*एनसीएफ़-2005,* पृष्ठ 83)

एनसीएफ़-2005 में लिखीं इन्हीं पंक्तियों के मर्म को समझते हुए मैंने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुछ करके देखने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया को 'बाल संसद' के ज़रिए समझना हमारी योजना का हिस्सा बना। यह लेख *एनसीएफ़* में दिए गए इसी उद्देश्य के बारे में है कि किस तरह 'बाल संसद' की प्रक्रिया के ज़रिए बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है।

समझ की इस अनुभव यात्रा में प्रमोद मैथिल और चंदन यादव के 'बच्चों की भागीदारी' (मैथिल, यादव 2014) जैसे लेखों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लेखों में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी द्वारा बाल संसद चुनाव के संचालन और कामकाज पर चर्चा की गई है।

नज़रिया

एक शिक्षक होने के नाते, मुझे संवैधानिक मूल्यों या शिक्षा के उद्देश्यों के किसी अन्य पहलू को विकसित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक सह-पाठ्यचर्या गतिविधि का आयोजन करना था, साथ-ही-साथ एक शिक्षक-प्रशिक्षक (प्रशिक्षु) होने के नाते नियमित शिक्षकों को ऐसे किसी आयोजन में शामिल करना था। इसलिए मैंने आम चुनाव की तर्ज़ पर ही स्कूल में पूरे तरीक़े से बाल संसद के चुनाव कराने का फ़ैसला किया। मैंने शिक्षकों के साथ योजना साझा की। शुरुआत में उन्हें मेरे विचार पर सन्देह था क्योंकि वे ऐसे कुछ स्कूलों की स्थितियों से अवगत थे जहाँ समुदाय और शिक्षकों के बीच विद्यार्थियों के चुनाव से सम्बन्धित हितों का टकराव था। इसके अलावा, उन्होंने सोचा कि

स्कूल में 20 दिनों के अवलोकन और शिक्षण के थोड़े से समय में क्या शिक्षकों को ऐसी गतिविधि के लिए मनाना सम्भव होगा।

मैंने शिक्षकों को प्रस्ताव दिया कि मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी गतिविधि के उद्देश्य को समझकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया से लैस हों। यह गतिविधि इस प्रकार थी :

उद्देश्य

विद्यार्थियों को सक्षम बनाना–

- लोकतंत्र की भूमिका को समझने के लिए;
- भारतीय लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया को समझने के लिए;
- लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए;
- जागरूक और ज़िम्मेदार नागरिकों का विकास करने के लिए;
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग विकसित करने के लिए; आदि।

विज्ञान की एक शिक्षिका मेरे विचार से सहमत थीं, और वह इस गतिविधि को शनिवार को संचालित करने के लिए उत्साहित थीं। दूसरे शिक्षक पहले प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी स्कूल के सभी शिक्षक इस विचार के साथ खड़े होते गए। मैंने निम्नलिखित विचार शिक्षकों को प्रस्तावित किए :

योजना

- दिन 1-2 : चुनाव की घोषणा और आचार संहिता की पूरी प्रक्रिया। चुनाव आयोग का गठन;
- दिन 3 : इच्छुक उम्मीदवारों का नामांकन;
- दिन 4 : नाम वापसी, यदि कुछ उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं;
- दिन 5-6 : अभियान और जागरूकता;
- दिन 7 : उम्मीदवारों के बीच बहस;
- दिन 8 : मतदान;
- दिन 10 : वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा; और
- दिन 11 : शिक्षक / चुनाव आयोग द्वारा एक सांसद का नामांकन, प्रधानमंत्री का चुनाव, शपथ ग्रहण समारोह, आम सभा की बैठक, और ज़िम्मेदारियों के लिए योजना।

कार्यान्वयन

बाल संसद चुनाव की घोषणा : दिनांक 6 नवम्बर 2023 को विद्यालय सभा में एक शिक्षिका ने चुनाव की घोषणा की। इसे मैंने

चित्र : शिवेन्द्र पांडिया

तारीख़ों के साथ पूरा समझाया, और नोटिस बोर्ड पर लिखा। इस घोषणा से विद्यार्थियों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

इस घोषणा के दौरान कई मसले उठाए गए। मसलन, एक बात यह रखी गई कि जब कोई ग्राम प्रधान उम्मीदवार आपके घर वोट माँगने आता है तब क्या आपके माता-पिता कभी उम्मीदवार से पूछते हैं कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद वे अपने बच्चों के स्कूल के लिए क्या करेंगे।

यही वह क्षण था जब प्रधानाध्यापिका ने खड़े होकर पंचायत प्रमुख के साथ हुए उनके अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि स्कूल में पानी की टंकी लगाने के लिए सरपंच ने स्कूल की कोई मदद नहीं की। इसके बाद प्रधानाध्यापिका भी चुनाव में रुचि लेने लगीं।

विचार यह था कि प्रत्येक कक्षा (6, 7, 8) से दो संसद सदस्यों (सांसद – एक लड़की और एक लड़का) का चुनाव किया जाए। इसलिए प्रत्येक मतदाता (विद्यार्थी) को संसदीय / विधानसभा चुनाव की तरह अपने सम्बन्धित वर्ग से एक लड़की सांसद और एक लड़के सांसद के लिए वैसे ही मतदान करना था जैसे एक मतदाता को अपने क्षेत्र के सांसद / विधायक के लिए करना होता है। चूँकि तीन कक्षाएँ थीं इसलिए एक सांसद को शिक्षकों द्वारा नामांकित किया जाना था ताकि यह एक विषम संख्या हो। प्रत्येक कक्षा से 2 सांसद चुनने पर संख्या 6 हो जाएगी जो शिक्षकों द्वारा नामांकित 1 सांसद को मिलाकर एक विषम संख्या (अर्थात 7) हो जाएगी। इसके बाद ये सांसद अपना नेता चुनेंगे जो स्कूल का प्रधानमंत्री कहलाएगा।

शिक्षकों के साथ चर्चा

दोपहर के भोजन के समय, मैंने शिक्षकों के साथ सामाजिक विज्ञान के अध्यायों और चुनाव प्रक्रिया के बीच सम्बन्ध पर बातचीत की। शिक्षकों ने पूछा कि इस प्रकार की गतिविधि सामाजिक विज्ञान विषय के उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगी क्योंकि कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक *सामाजिक और राजनीतिक जीवन-1* में 'सरकार' और 'स्थानीय सरकार और प्रशासन' पर दो इकाइयाँ शामिल हैं। ये इकाइयाँ 4 अध्यायों में आती हैं। जबकि कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक और राजनीतिक जीवन-*

अध्याय 3

संसद तथा कानूनों का निर्माण

हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्त्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे।

यही वे तत्त्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्त्व है।

© NCERT not to be republished

2 में 'राज्य सरकार' पर एक इकाई शामिल है, जो दो अध्यायों 'स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका', और 'राज्य सरकार कैसे काम करती है' से सम्बन्धित है। कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक *सामाजिक और राजनीतिक जीवन-3* में बहु-आयामी अध्याय शामिल हैं। इन्हें पढ़ाकर बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

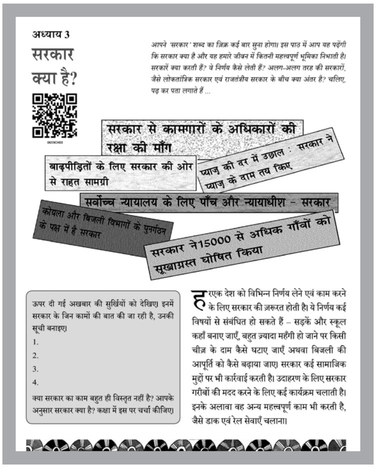
अध्याय 3

सरकार क्या है?

0659CH03

आपने 'सरकार' शब्द का ज़िक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं? वे निर्णय कैसे लेती हैं? अलग-अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है? चलिए, पढ़ कर पता लगाते हैं ...

सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की माँग

बाढ़पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री

प्याज़ की दर में उछाल : सरकार ने प्याज़ के दाम तय किए

सर्वोच्च न्यायालय के लिए पाँच और न्यायाधीश - सरकार

कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार

सरकार ने15000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया

ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है, उनकी सूची बनाइए।

1.

2.

3.

4.

क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए।

हरएक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं – सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महँगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएँ अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्त्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएँ चलाना।

जागरूकता और चुनाव अभियान

अगले दिन विद्यार्थियों से चुनाव आयोग के गठन और नामांकन प्रक्रिया के बारे में बात हुई। चुनाव लड़ने के इच्छुक बच्चों को एक नामांकन फ़ॉर्म प्रदान किया गया। प्रधानाध्यापिका मुख्य आयुक्त की भूमिका में थीं। उनका दायित्व उम्मीदवारों को नामांकन फ़ॉर्म का वितरण करना और उन्हें वापस लेना था। विज्ञान शिक्षिका कक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के बीच चर्चा कर रही थीं। उसी दिन, कक्षा 6वीं के 5 विद्यार्थियों (2 लड़के और 3 लड़कियाँ), कक्षा 7वीं से 7 विद्यार्थियों (4 लड़कियाँ और 3 लड़के), और कक्षा 8 से 4 विद्यार्थियों (2 लड़कियाँ और 2 लड़के) ने अपनी कक्षा के सांसद पद के लिए अपना नामांकन दाख़िल किया।

दो कामकाजी / स्कूल दिनों, जिनमें दिवाली की छुट्टियों के कारण पूरा सप्ताह शामिल था, में हमारी योजना के अनुसार हमने जागरूकता कार्यक्रम अभियान, मतदान प्रक्रिया, समस्याओं की पहचान और समाधान प्रस्ताव (जिसमें उम्मीदवारों ने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के समाधान को लेकर वे क्या सोचते हैं, इसपर बात रखी। यह कुछ-कुछ चुनावी मैनिफेस्टो की तरह था), इत्यादि का आयोजन किया। इसके साथ ही, शिक्षकों ने भाषण तैयार करने में मदद की। यह काफ़ी प्रेरणादायक था जब विद्यार्थियों ने 'स्कूल परिसर को साफ़ रखेंगे', 'कक्षाओं को साफ़ रखेंगे', 'स्कूल परिसर की हरियाली बनाए रखेंगे', 'शुक्रवार (जुम्मा) को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करेंगे', और 'पढ़ाई में कठिनाई का सामना करने वाले विद्यार्थियों की मदद करेंगे', आदि जैसे अद्भुत विचार पेश किए। जब वे अपने एजेंडे की घोषणा कर रहे थे, शिक्षक विद्यार्थियों के भाषण से आश्चर्यचकित थे।

चुनाव चिह्न चुनने में विद्यार्थियों का बड़ा योगदान था क्योंकि चिह्न ढूँढ़ते समय बच्चों को अपने स्कूल के सामानों से सचेतता से (consciously) रूबरू होने का मौक़ा मिला। चुनाव

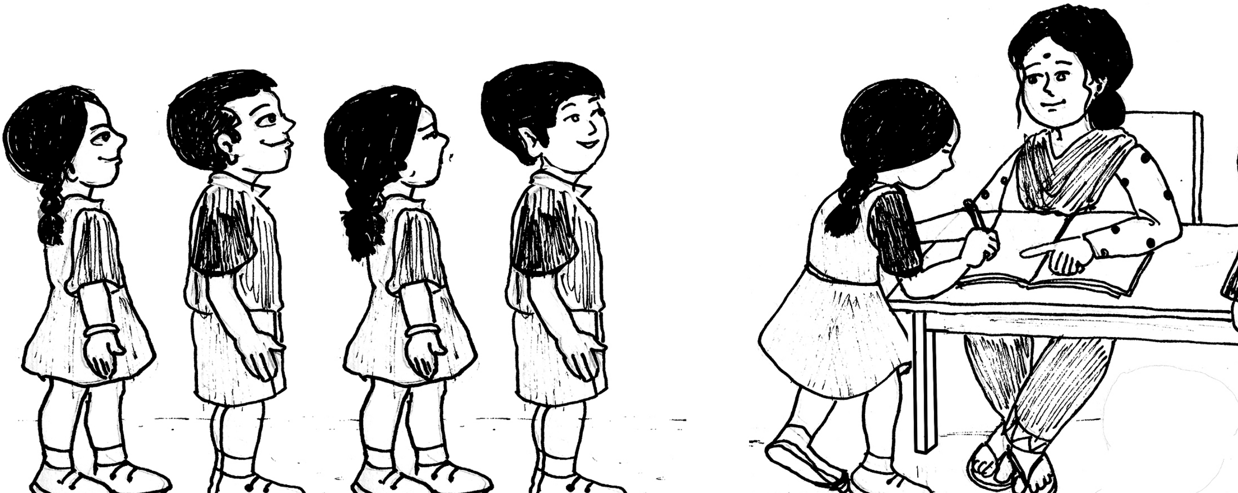
चित्र : शिवेन्द्र पांडिया

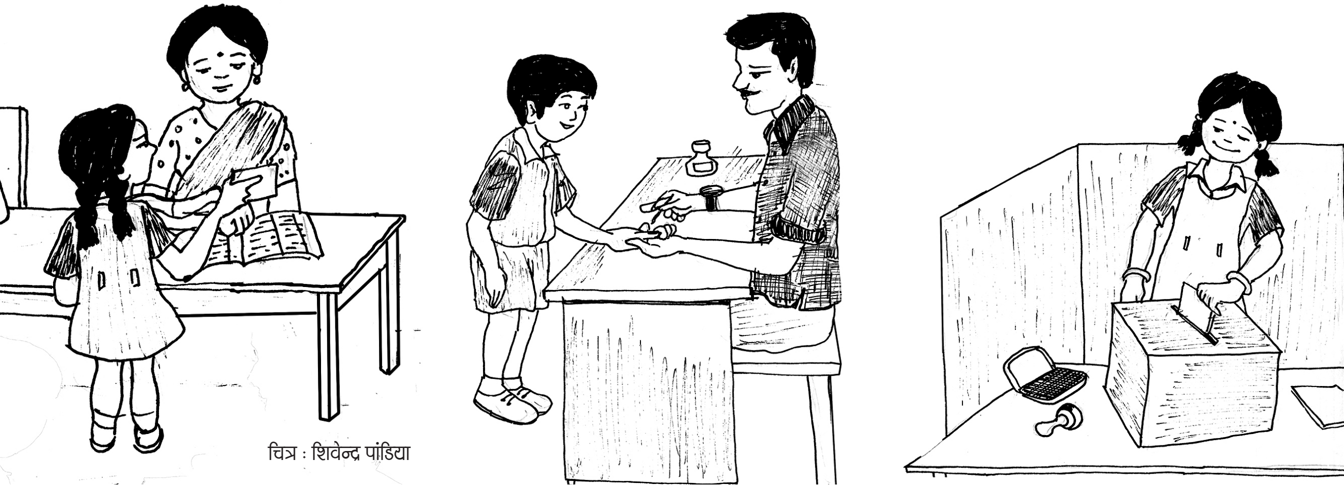
चित्र : शिवेन्द्र पांडिया

चिह्न इस प्रकार थे : पुस्तक, कलम, ग्लास, नोटबुक, एलसीडी टीवी, कंप्यूटर, टेबल, बेंच-डेस्क, दीवार घड़ी, ग्लोब, स्मार्टफ़ोन, बोतल, बल्ब, डस्टर, सीलिंग फैन, ब्लैकबोर्ड, स्कूल भवन, और खेल उपकरण।

मतदान पूर्व तैयारी

शनिवार 18 नवम्बर 2023 चुनाव का दिन था। चुनाव की तैयारी हम सभी ने मिलकर की। टेबल, पोस्टर, स्कूल के बैनर, मतपेटी के लिए छोटा बक्सा और रबर स्टाम्प लगी छोटी लकड़ी की छड़ी, आदि का उपयोग किया। इसके साथ ही एक कोना भी बनाया गया जहाँ मतदाता गोपनीयता के साथ मतदान कर सकें।

शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। एक शिक्षिका नाख़ूनों पर मतदान स्याही लगा रही थीं, दूसरी शिक्षिका नाम सूचीबद्ध कर विद्यार्थियों के हस्ताक्षर ले रही थीं, तीसरी शिक्षिका प्रक्रिया के मिनटों को नोट कर रही थीं, और मुख्य शिक्षिका विद्यार्थियों को मतपत्र प्रदान कर रही थीं। इस प्रक्रिया में, मैं अनुशासन बनाए रखने, और मतदान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के काम में शामिल था। मेरे पूरे स्कूल अवलोकन, शिक्षण और डेटा संग्रह के दौरान, मतदान के दिन विद्यार्थियों की सबसे अधिक उपस्थिति देखी गई। यह बाक़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा थी। कई उम्मीदवार अपने वोट शेयर को लेकर संशय में थे। वहीं कुछ विद्यार्थी बिलकुल स्पष्ट थे कि वे जीतने वाले नहीं हैं। मतदान प्रक्रिया पूरे 2 घण्टे चली। अन्ततः मतदाताओं (विद्यार्थियों) व प्रत्याशियों के समक्ष मतपेटी को सील कर कार्यालय में रखा गया।

मतगणना

मतगणना को लेकर सारे विद्यार्थियों में ग़ज़ब का उत्साह था। मतगणना का काम एक सप्ताह बाद किया गया। दोपहर के भोजन के बाद विद्यार्थियों को बुलाया गया और मतपेटी लाई गई। सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतपेटी खोली गई। उम्मीदवारों ने एक काग़ज़ पर हस्ताक्षर किए। इसमें लिखा था कि मतपेटी उनके सामने पारदर्शिता के साथ खोली गई, और वे मतदान गिनती शुरू करने के लिए सहमत हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 6वीं का कार्यभार ग्रहण किया, जबकि दूसरे दो शिक्षकों ने कक्षा 7वीं और 8वीं का कार्यभार ग्रहण किया। प्रधानाध्यापिका ने प्रत्येक अभ्यर्थी के मिले मतों की संख्या को नोट करना शुरू कर दिया। शिक्षक कुछ परिणामों से पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे विद्यार्थियों को बहुत कम वोट मिले जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वे अवश्य ही जीतेंगे।

मैंने कुछ विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के उनकी भविष्यवाणियों के बारे में कुछ वीडियो कवर किए। वहाँ के कथन काफ़ी दिलचस्प थे। मसलन, “मतगणना के बाद हमें पता चलेगा”;

"हमारी तो साँसें थमी पड़ी हैं, हम कुछ नहीं कह सकते"; आदि। जबकि एक उम्मीदवार ने ख़ुद कहा था, "हाथीम (बदला हुआ नाम) जीतेगा।" तो मैंने पूछा, "आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं जीतेंगे।" उसने जवाब दिया, "हमें वोट ही नहीं मिले।"

परिणाम पूरी प्रक्रिया के साथ घोषित किए गए

नतीजे घोषित हुए तो विद्यार्थियों में चुनाव जीतने और हारने का रोमांच देखने को मिला। परिणाम शिक्षकों की उम्मीदों से परे थे। जो विद्यार्थी लोकप्रिय थे, पढ़ाई में अच्छे थे, और जिनको लेकर शिक्षकों को जीत का भरोसा था वे चुनाव हार गए थे। साथ ही, शिक्षकों ने कक्षा में धार्मिक समीकरण के सन्दर्भ में जो भविष्यवाणी की थी वह भी फेल हो गई।

शिक्षकों के बीच चर्चा

इन सभी चर्चाओं ने शिक्षकों को स्कूल और कक्षा के अन्दर के सामाजिक प्रभाव के बारे में गम्भीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, चुनाव में सामाजिक प्रभाव की शिक्षकों की भविष्यवाणी को स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई थी। आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा के बहुसंख्यक विद्यार्थियों (मुस्लिम समुदाय) की बजाय हिन्दू समुदाय के एक लड़के और मुस्लिम समुदाय की एक लड़की को जिताया था, जबकि चुनाव हारने वाले दोनों विद्यार्थी मुस्लिम समुदाय से थे। शिक्षकों की धारणा थी कि विद्यार्थी अपने समुदाय के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जबकि हुआ इसके उलट। जो उम्मीदवार चुनाव जीते वे मृदुभाषी, सहयोगी स्वभाव के, पहल करने वाले थे जबकि हारने वाले उम्मीदवार सक्रिय और पढ़ने में अच्छे, लेकिन थोड़े कम मृदुभाषी थे। हालाँकि, शिक्षकों के चहेते होने के कारण उनका दबदबा था, लेकिन बच्चों के बीच लोकप्रियता कम थी। इस कारण उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

पूरी प्रक्रिया के अन्त में विद्यार्थियों को पंचायत, विधान सभा और संसदीय चुनावों की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इससे विद्यार्थियों में चुनाव प्रक्रिया का एक ठोस विचार तैयार हुआ। इस प्रक्रिया को समझाने में सारे शिक्षकों ने सहयोग दिया क्योंकि उन्हें बच्चों की पृष्ठभूमि की जानकारी थी।

चिन्तन

इस प्रक्रिया में बच्चे और शिक्षक सब एक दूसरे से सीख रहे थे। इस चुनाव ने शिक्षकों की भूमिका, गतिविधि और सीखने के प्रति बच्चों के खुलेपन के बारे में मेरी कई धारणाओं को तोड़ दिया। *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009 (एनसीएफ़टीई)* के दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चों को नियमित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह सुझाव देती है कि "साप्ताहिक और मासिक आधार पर किसी के शिक्षण की योजना बनाना और साथ ही सहकर्मियों, स्कूल के शैक्षणिक प्रमुख और क्लस्टर या ब्लॉक स्तर पर संसाधन व्यक्तियों के साथ चर्चा करना, शिक्षण पेशे का एक अनिवार्य पहलू है।"

चित्र : शिवेन्द्र पांडिया

चुनाव के बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव दिखा। शिक्षक विद्यार्थियों से सलाह-मशविरा करने लगे। जागरूकता प्रक्रिया में कई परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा हुई थी जिसमें बच्चों ने महसूस किया कि उन्हें सुना जा रहा है। कई मायनों में बच्चे समाज में होने वाले चुनाव प्रचार की मदद ले रहे थे जिससे शिक्षकों को उन मुद्दों पर बात करने का मौक़ा मिला, जिनपर शायद ही पहले कभी मौक़ा मिला हो। इसके अलावा, ज़िम्मेदारी की बात के कारण विद्यार्थी भी ख़ुद से कई पहल करने लगे थे। जैसे– पौधों में पानी देना, कक्षा को साफ़ करने में अपने दोस्तों को शामिल करना, डिजिटल क्लासरूम की देखरेख करना, आदि।

पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक तैयारी, अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त समय शामिल नहीं था। इसमें चुनाव चिह्न के साथ मतपत्र बनाने, प्रिंटआउट के कुछ काग़ज़ात लेने आदि जैसे कुछ संसाधनों को तैयार करने में ही सिर्फ़ कुछ अतिरिक्त घण्टे लगे। यह पूरी प्रक्रिया 100 रुपए से भी कम की लागत में पूरी हुई। इसके अलावा, इसके लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी घोषणाएँ विधान सभा और आनंदम अवधि (उत्तराखंड में ध्यान और ख़ुशी से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए समर्पित एक अवधि) के दौरान की गई थीं। साथ ही, एक शनिवार जो 'नो बैग डे' के लिए समर्पित है, उसका उपयोग चुनाव और मतगणना के संचालन के लिए किया गया।

इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई दिक़्क़त नहीं हुई। अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कोई शिक्षक लोकतंत्र का सही मायना जितना इस गतिविधि के ज़रिए बच्चों को सिखा सकता है उतना शायद ही कक्षा में लैक्चर से सम्भव हो पाए।

इस दौरान मुझे भी चुनौती मिली कि कैसे बच्चों के साथ लोकतांत्रिक होना है। सामान्यतः गाँव के स्कूलों के बच्चों को यही मानकर पढ़ाया जाता है कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता। लेकिन जब हमने बच्चों के नज़रियों को सुना, जाना और समझा तो हमारी यह धारणा ग़लत साबित हुई। इस प्रक्रिया ने सभी शिक्षकों को, और कुछ हद तक मुझे भी बच्चों को बराबर मानना, और उनकी बातों को बराबर तवज्जो देना सिखाया।

सन्दर्भ

1. Anandam Curriculum for class 6th to 8th : Final_6_to_8.pdf. (n.d.). Retrieved January 11, 2024, from https://siemat.uk.gov.in/files/Final_6_to_8.pdf

2. George, A. (2008). *Children's Perception of Sarkar: A Critique of Civics Textbooks.* Esocialsciences. Com, Working Papers.

3. NCERT. (n.d.–a). Retrieved January 11, 2024, from https://ncert.nic.in/textbook.php?fess3=ps–8

4. NCERT. (n.d.–b). Retrieved January 11, 2024, from https://ncert.nic.in/textbook.php?gess3=ps–8

5. NCERT. (n.d.–c). Retrieved January 11, 2024, from https://ncert.nic.in/textbook.php?hess3=ps–8

6. NCFTE_2009.pdf. (n.d.). Retrieved December 10, 2023, from https://ncte.gov.in/website/PDF/NCFTE_2009.pdf

7. NCF2005–english.pdf. (n.d.). Retrieved January 11, 2024, from https://ncert.nic.in/pdf/nc–framework/nf2005–english.pdf

शिशु रंजन ने अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु से शिक्षा में एमए किया है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी, और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से बीएड किया है। उनकी रुचि सामाजिक न्याय और विज्ञान शिक्षा के शोध में है।

सम्पर्क : shishu.ranjan22_mae@apu.edu.in